

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०..... से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....



केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:- 166/2017 राज्य बनाम *11/11/2017* *11/11/2017* *11/11/2017* *11/11/2017*

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बाटिप्पणी तारीख-सहि 3.
05.02.2018	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत मानसी थाना में दर्ज कांड संख्या-52/2017, दिनांक 13.03.2017, में 750 एम०एल० का 04(चार) बोटल विदेशी शराब जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के ज्ञापांक 35/हि०शा०, दिनांक 02.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मानसी का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम०एल० का 01 बोटल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को भेजा गया है। 750 एम०एल० का 01 बोटल विदेशी शराब प्रदर्श के रूप में रखा गया है, तथा शेष 750 एम०एल० का 02 बोटल विदेशी शराब थाना मानसी के मालखाना में रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसी थाने के मालखाना में रखी गई 750 एम०एल० का 02 बोटल कुल-1.500 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना मानसी कांड संख्या-52/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-1.500 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मानसी /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

<p>आदेश का क्रम सं० और तारीख 1.</p>	<p>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.</p>
	<p>डी० बी० नं०.....<u>34</u>...../विधि, दिनांक <u>05/02/2018</u> प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मानसी /उत्पाद, अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;">  05/02/18 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।  05/02/18 </p>	